प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामे एवं वसीयत की जांच के आदेश दिये बिना ही अपीलान्ट के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कर सीधे ही रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरकरण पारित करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सद्धातों के विपरित होने से न्याय हित मे अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक मे प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 07/2015 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.4.2017 की की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली के संलग्न हो।